प्रेषक

एP0पी0अंशुमान,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

सेवा में

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक,
कारागार उत्तराखण्ड।

संख्या--8151 / वैय0सहा0 / म0नि0का0 / 2021 देहरादून: दिनांक 02 सितम्बर, 2021

विषयः— कारागार कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के आरम्भ या अन्त में पड़ने वाले द्वितीय शनिवार / रविवार / अन्य राजकीय अवकाशों के उपभोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–8047 / वैय0सहा0 / म0नि0का0 / 2021 दिनांक 14.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में कारागार अधीक्षकों द्वारा विषयगत प्रकरण में मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश की कारागारों में नियुक्त कर्मियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर यदि कर्मियों के द्वारा अवकाश के प्रारंभ, मध्य व अन्त में पड़ने वाले द्वितीय शनिवार / रविवार / अन्य राजपत्रित अवकाश उपभोग करने की अनुमति मांगी जाती है तो अनुमति प्रदान कर दी जाये। इनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नही की जायेगी। अतः आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(ए0पी0 अंशुमान)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner